कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-06/2016-17/

दिनांक : /07/2016

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत, नंदप्रयाग

जनपद- चमोली

विषय : नगर पंचायत, , नंदप्रयाग का वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग-4 (ब)-1 में एक प्रस्तर एंव भाग -4 (ब)-2 में छः प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं. स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 07/2016-17/ दिनांक : /07/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को भाग-4 (ब)-1 के प्रस्तर संख्या 1 की एक प्रति।

2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 43/6 माता मन्दिर, धर्मपुर, देहरादून

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये नगर पंचायत नंदप्रयाग, चमोली पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत शहरी निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्रीमती किरन रौतेला - अध्यक्ष नगर पंचायत

श्री एस.पी.मटटू अधिशासी अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ.

(ii) श्री हिंमाशु शर्मा, स.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 29.04.2016 6.05.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- 2013-14 से 2015.16

भाग-दो

परिचयात्मक :

पंचायतीराज संस्था का नाम : **नगर पंचायत- नंदप्रयाग, जिला- चमोली** (अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : - 2.16 वर्ग कि.मी.

जनसंख्या : 1641

1- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 04

2- (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 12

3- (ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-

4- बैठक :

5- कर्मचारियों की संख्या : - 13

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :-

9- (अ) सामाजिक संरक्षा : -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :-

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **नगर पंचायत- , नंदप्रयाग** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तथा की सम्प्रेक्षा श्री सतेन्द्र कुमार स.ले.प.अ. एंव श्री हिंमाशु शर्मा स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 29.04.2016से 06.05.2016 कर सम्पादित कि गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः- शून्य

यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-2 (अ)**	**प्रस्तर भाग-2 (ब)-2**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर		शून्य	1
		प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर			

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख

भाग 4(ब)-1

प्रस्तर 1:- कार्यालय द्वारा चयनित माहों के ` 60.37 लाख के बाउचर प्रस्तुत न किया जाना।

वित्तीय नियमों के अनुसार कार्यालय के द्वारा किये गये किसी भी व्यय के बाउचर होना आवश्यक है। जिससे उसकी सुविधा का प्रमाणन किया जा सकें। बिना बाउचर के किसी भी खर्च की स्वीकृति कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा नहीं दी जा सकती है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह घोर अनुयमितता को दर्शाता है।

लेखा परीक्षा दल द्वारा कार्यालय के चयनित माहों की जाँच में पाया गया कि (संलग्नक के अनुसार) कुल ` 60.37 लाख के बाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये जिनका भुगतान कैशबुक के अनुसार उक्त महों में किया गया है। बाउचर प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त भुगतान की सुविधा प्रमाणित नहीं की जा सकी और गबन की आशंका से इन्कार नहीं कियाजा सकता है क्योंकि बाउचर किसी भी भुगतान का अभिन्न अंग है इसके बिना किया गया भुगतान न सिर्फ वित्तीय नियमों का उल्लंघन करता है अपितु गम्भीर अनुयमितता भी दर्शाता है।

इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि बाउचर प्रस्तुत किये जायेगें जो कि अप्रस्तुत है।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1:- टेण्डर प्रक्रिया अपनाये बिना इकाई द्वारा ` 5.85 लाख की किमत का गहन एवं ` 3.99 लाख के जनरेटर का क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार किये गये संशोधन के आधार पर ` 3.00 लाख से ऊपर के क्रय को टेण्ड़र के आधार पर किया जाना चाहिए।

कार्यालय की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि ` 5.85 लाख की लागत से वाहन एवं ` 3.99 लाख की लागत से जनरेटर का क्रय किया गया। लेकिन उक्त क्रय कोटेशन के आधार पर किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि उक्त क्रय कोटेशन के आधार पर किया गया है। भविष्य में टेण्डर के आधार पर किया जायेगा। कार्यालय के उत्तर से स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया गया।

अतः बिना टेण्ड़र के क्रय को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 2:- मकान किराये की ` 0.97 लाख की धनराशि की बकाया वसूली व दूकानों के खाली रहने के कारण ` 1.08 लाख प्रतिवर्ष किराये की हानि।

कार्यालय को प्राप्त होने वाला किराये को प्रतिमाह वसूल किया जाना चाहिए। एवं किरायेदारों को नोटिस जारी किए जाने चाहिए जिससे तत्परता से किराए की वसूली हो सके एवं उसे आवश्कतानुसार जनहित में खर्च किया जा सके।

कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2015-16 के किराए के पंजिका की जाँच में पाया गया कि कुल ` 0.97 लाख की धनराशि की वसूली बकाया है (सलंग्नक के अनुसार) एवं कुल 08 दुकानों के खाली रहने के कारण कार्यालय को कुल ` 9,000/-प्रतिमाह (2∗1,500+6∗1,000) की दर से वार्षिक ` 1.08 लाख की धनराशि की हानि हो रही है।

इंगित किये जाने पर कार्यालय द्धारा बताया गया कि धनराशि की शीध्र वसूली की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3:- इकाई द्धारा अधिग्रहीत व्यायसायिक लाहसेंस शुल्क की दरों को वर्ष 2003-04 के पश्चात से संशोधित न किया जाना एंव 2013-14 में ठेकेदारों से ` 10,000.00/-की व्यावसायिक लाईसेंस शुल्क की अवशेष वसूली वर्तमान तक लंबित रहना।

स्थानीय निकायों की स्थापना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निकायों को अपने निजी आय स्रोतों को यथासम्भव विकसित करना चाहिए ताकि निकाय लोकहित एंव विकास कार्यों में अपना अधिक से अधिक योग दान देकर स्वनिर्भरता विकसित कर सके एवं सरकार पर निर्भरता कम कर सकें।

कार्यालय नगर पंचायत नंदप्रयाग के लेखा अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि निकाय द्धारा अधिग्रहीत व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क की दरें वर्ष 2003-04 के पश्चात् कभी संशोधित नही की गयी जो इकाई के निजी आय स्रोतों के प्रति शैथिल्य को दर्शाता है।

निकाय द्धारा वर्ष 2013-14 में कुल 22 सूचिकृत ठेकेदारों से ` 1,000.00/- की तय दर के अनुसार व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क वसूला जाना था परन्तु 22 में से21 ठेकेदारों से ` 500/- की अल्प दर से कुल ` 10,500/- ही वसूले जा सके अर्थात ` 10,500/-की ही वसूली अवशेष रही। तद्क्रम में वर्ष 2014-15 में ` 400/-एवं वर्ष 2015-16 में ` 100/- अर्थात कुल ` 500/- ही पिछले बकाय वसूली के वसूले जा सके अभिप्रायतः इकाई द्धारा लेखा परीक्षा तिथि तक व्यालसायिक लाइसेंस शुल्क के रुप मे ` 10,000.00/- की धनराशि वसूल किया जाना लंबित है। (अनुलग्नक-"क")

इस सम्बंध में इकाई द्धारा पूंछे जाने पर यह उत्तर दिया गया कि उक्त परिप्रेक्ष्य में भविष्य में यथाशीध्र अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योकि वर्ष 2003-04 के पश्चात अब तक 15 वर्षों में लाइसेंस शुल्क दरों में संशोधन न करना एवं वार्षिक रुप से अल्प वसूली करना इकाई की निजी आय स्रोतों के प्रति अति शिथिलता को व्यक्त करता है।

अतः इकाई द्धारा अधिग्रहीत व्यावसयिक लाइसेंस शुल्क की दरों को वर्ष 2003-04 के पश्चात् से संशोधित न किये जाने एवं वर्ष 2013-14 में ठेकेदारों से ` 10000/- की व्यासयिक लाइसेंस शुल्क की अवशेष वसूली वर्तमान तक लंबित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 4:- ` 25.11 लाख की लगत से दुकानों के निर्माण कार्य को तीन भागों में तोड़कर कराया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमवाली 2008 के अनुसार एक स्थान पर होने वाले निर्माण कार्य को टुकड़ों में विभाजित करके नही कराया जाना चाहिए।

कार्यालय की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि घाट रोड नन्द प्रयाग में मीट की दुकाने ऊपर प्रथम तल पर दुकानों का निर्माण किया जाना था। जिनकी लगत ` 25.11 लाख की थी लेकिन कार्यालय के द्धारा उक्त कार्य को तीन भागों में 1-6.30 लाख 2. 10.07 लाख एवं 3.8.74 लाख में तोड़कर कराया गया।

इसे इंगित किये जाने पर कार्याल के द्धारा बताया गया कि भविष्य हेतु नोट किया।

उत्तर मान्य नही है क्योकि अधिप्राप्ति नियमवली में स्पष्ट आदेश के बावजूद उसका अनुपालन नही किया गया जा रहा है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 5:- वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक के विभिन्न खातों में व्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 2.56 लाख को राजकोष में जमा न कर इकाई के खातों में लंम्बित रखना।

उत्तराखण्ड शासन के पंत्राक संख्या 347/वि0आ0 निद0(तृ0रा0वि0आ0)/2013 दिनांक 17 फरवरी 2013 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि एवं उस पर लगने वाला व्याज के वर्षवार विवरण उपलब्ध कराते हुये ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए।

नगर पंचायत नंदप्रयाग के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक विभिन्न खातों से ब्याज के रुप में प्राप्त ` 2.56 लाख की धनराशि इकाई के खातों ही लंबित पडी है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.स.	**बैंक निधि का स्रोत नाम**	**दिनांक**	**ब्याज की धनराशि (`) में**
1.	जमानत राशि	31.10.13	224.00
2.	जे.एन. आर.वाई./अवस्थापना पार्क सुंदरीकरण	30.06.08	19,478.00
3.	जे.एन. आर.वाई./अवस्थापना पार्क सुंदरीकरण	31.12.08	18,696.00
4.	जे.एन. आर.वाई./अवस्थापना पार्क सुंदरीकरण	30.06.09	19,023.00
5.	जे.एन. आर.वाई./अवस्थापना पार्क सुंदरीकरण	31.12.09	13,103.00
6.	जे.एन. आर.वाई./अवस्थापना पार्क सुंदरीकरण	30.06.10	5,139.00
7.	जे.एन. आर.वाई./अवस्थापना पार्क सुंदरीकरण	31.12.10	3,416.00
8.	जे.एन. आर.वाई./अवस्थापना पार्क सुंदरीकरण	30.06.11	4,365.00
9.	जे.एन. आर.वाई./अवस्थापना पार्क सुंदरीकरण	30.06.12	14,586.00
10.	जे.एन. आर.वाई./अवस्थापना पार्क सुंदरीकरण	31.12.12	7,505.00
11.	जे.एन. आर.वाई./अवस्थापना पार्क सुंदरीकरण	30.06.13	11,631.00

12.	जे.एन. आर.वाई./अवस्थापना पार्क सुंदरीकरण	31.12.13	10,082.00
13.	जे.एन. आर.वाई./अवस्थापना पार्क सुंदरीकरण	25.12.14	15,004.00
14.	जे.एन. आर.वाई./अवस्थापना पार्क सुंदरीकरण	25.12.15	11,471.00
	कुल योग		**2,56,062.00**

इकाई द्वारा उपरोक्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में नहीं जमा किया जा रहा है जो इकाई की वित्तीय अनिमीतता को दर्शाता है।

इस सम्बन्ध में इकाई द्वारा भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तर दिया गया। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उक्त धनराशि को यथाशीघ्र राजकोष में जमाकर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाना चाहिए।

अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक विभिन्न खातों से ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 2.56 लाख को राजकोष में जमा न कर इकाई के खातों में लंबित रखने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 6:- इकाई द्वारा कर्माचारियों के अनुचित वेतन निर्धारण के फलस्वरुप गम्भीर वेतन-विंसगतियों का अनवरत रहना।

सरकार की किसी भी इकाई विभाग अथवा कार्यालय के स्वस्थ संचालन के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि उसका कार्मिक वर्ग कार्यानुरुप एंव समसामयिक विहित विधियों के अधीन बेतन परिलब्धियाँ प्राप्त करें। इस हेतु यह आवश्यक है कि कर्मिकों की सेविपुस्तिकाओं में समयानुसार एवं उचित रुप से वेतन निर्धारण हो एवं अन्य प्रविष्टियाँ यथा विनियमितीकरण प्रोन्नीत वित्तीय स्तरोन्नयन विर्षिक सेवा प्रमाणीकरण एवं वार्षिक वेतन वृद्धि आदि सेवीपुस्तिकाओं में अंकित की जाये एवं इनसे कार्मिक को समसमय में हित लाभ हो सकें।

कार्यालय नगर पंचायत नंदप्रयाग के कार्मिक के सेवा अभिलेखों की जाँच में यह द्रष्टिगत हुआ कि यहाँ के समस्त कार्मिकों की सेवा-पुस्तिकाओं में वेतन निर्धारण सम्बन्धी प्रविष्टियाँ अनुलग्नक-ख में वर्णित तिथियाँ तक ही की गयी है। जो अपूर्ण एवं अनुयमित है एवं तद्समय में विहित वितन आयोग-2006 के प्रावधानो के अनुसार भी नहीं है। अनुलग्नक ख में वर्णित तिथियों के उपरांत वेतन निर्धारण सम्बन्धी कोई भी अन्दाज नहीं किया गया है, अस्तु उपरोक्त कार्य प्रवृत्ति से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कर्मिकों को उनकी वेतन परिलब्धियाँ किस नियमित आधार पर दी जा रही है एवं इसके साथ ही सेवा पुस्तिका में यथावश्यक अन्य प्रविष्टियाँ भी अपूर्ण ढंग से का गयी है अथवा नहीं की गयी है। जो सर्वद्रष्टि से गम्बीर वित्तीय अनियमितता का विषय है जिसके प्रति उक्त कार्यालय अति शिथिलता का प्रदर्शन करते हुये घोर विसंगतियों को अनपरत किये हुये है।

इस परिप्रेक्ष्य में इकाई द्वारा भविष्य में सुधार किये जाने का उत्तर दिया गया जो असंतोषजनक है क्योंकि उक्त अनुयमितता से कार्मिक हित सर्वथा सतत् रुपेण दुष्प्रभावित हो

रहा है अतएव इकाई द्वारा कर्मचारियों के अनुचित वेतन निर्धारण के फलस्वरुप गम्भीर वेतन विसंगतियों के अनवरत रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>अनुलग्नक "ख"</u>

<u>कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का विवरणः-</u>

क्र.सं.	**कर्माचारियों का नाम**	**सेवापुस्तिका में वेतन संबंधी प्रविष्टियाँ जिस तिथि तक की गयी है।**	**टिप्पणी**
1.	रती देवी	03.06.2005	अनुसुचित वेतन प्रविष्टियाँ
2.	कमलेश	30.06.2007	अनुसुचित वेतन प्रविष्टियाँ
3.	ओमप्रकाश	01.07.2007	अनुसुचित वेतन प्रविष्टियाँ
4.	विनय कुमार शाह	01.01.2007	अनुसुचित वेतन प्रविष्टियाँ
5.	कुलदीप सिंह रोतेला	01.02.2008	अनुसुचित वेतन प्रविष्टियाँ
6.	रघुवीर रॉय	01.02.2007	अनुसुचित वेतन प्रविष्टियाँ
7.	मसीचरण	30.07.2007	अनुसुचित वेतन प्रविष्टियाँ
8.	राजेन्द्र कुमार	01.07.2007	अनुसुचित वेतन प्रविष्टियाँ

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **नगर निगम , नंदप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय